

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/जयपुर/वी-06/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1150 दिनांक 13.08.2018 में क्रम संख्या 37, 39, 40, क्रमांक 1261 दिनांक 31.08.2018 में क्रम संख्या 76 एवं क्रमांक 1552 दिनांक 06.11.2018 में क्रम संख्या 12 पर अंकित कार्मिका के नियमितिकरण/ स्थायीकरण आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र. स. | कर्मचाका नाम | पदस्थापन स्थान | जन्म तिथि | कार्यग्रहण तिथि | परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक | 02 वर्ष पश्चात परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि |
|---------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पवन कुमार | जयपुर | 01.08.86 | 11.02.16 | 10.02.18 | 11.02.18 |
| 2 | बनवारी लाल बॉचलया | जयपुर | 20.09.75 | 11.02.16 | 10.02.18 | 11.02.18 |
| 3 | निर्मला | जयपुर | 05.01.84 | 11.02.16 | 10.02.18 | 11.02.18 |
| 4 | संगीता कुमारी सैन | जयपुर | 30.12.80 | 11.02.16 | 17.03.18 | 18.03.18 |
| 5 | दीवान चन्द मीणा | जयपुर | 03.08.87 | 23.08.16 | 22.08.18 | 23.08.18 |

शेष यथावत

Sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/जयपुर/वी-06/2018/31

दिनांक:- 08-1-2019

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम/द्वितीय।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुर-प्रथम/द्वितीय।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर